भाग II

राजस्व क्षेत्र

अध्याय III

राजस्व क्षेत्र

प्रस्तावना

अध्याय III

राजस्व क्षेत्र

प्रस्तावना

3.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

3.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सृजित कर और गैर-कर राजस्व, राज्य को सौंपे गए विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय में राज्य की हिस्सेदारी तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों और पूर्ववर्ती चार वर्षों के संबंधित आंकड़े तालिका 3.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	6,333.95	7,326.19	7,819.13	9,536.40	9,826.35
	• गैर-कर राजस्व	1,978.05	3,912.79	4,072.19	4,362.34	4,349.35
	कुल	**8,312.00**	**11,238.98**	**11,891.32**	**13,898.74**	**14,175.70**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों और शुल्कों की निवल आय में हिस्सेदारी	4,477.23	7,813.48	9,488.60	11,911.65	13,989.80
	• सहायता अनुदान	16,149.36	16,728.14	20,598.55	22,701.49	23,065.21
	कुल	**20,626.59**	**24,541.62**	**30,087.15**	**34,613.14**	**37,055.01**
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2 का योग)	**28,938.59**	**35,780.60**	**41,978.47**	**48,511.88**	**51,230.71**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**29**	**31**	**28**	**29**	**28**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2018-19)

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की समग्र प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹14,175.70 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष में 29 प्रतिशत की अपेक्षा कुल राजस्व प्राप्तियों का 28 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान शेष 72 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार (जीओआई) से हुई थी, जिसमें से 62.25 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में आया

था। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का 45.02 प्रतिशत हिस्सा रहा।

3.1.2 वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)= (एफ-ई)/ ई*100
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर, जीएसटी सहित	4,601.52	5,276.54	6,011.98	7,104.37	6,891.44	(-) 3.00
2.	माल और यात्रियों पर कर	557.81	666.21	747.88	852.62	909.22	(+) 6.64
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	466.08	532.82	569.26	833.16	1,291.45	(+) 55.01
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	313.40	428.87	89.94	179.20	188.57	(+) 5.23
5.	स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क	247.98	264.23	227.62	307.43	265.45	(-) 13.66
6.	वाहनों पर कर	132.34	145.15	149.71	228.11	238.93	(+) 4.74
7.	भूमि राजस्व	14.58	12.18	16.89	29.07	41.28	(+) 41.90
8.	अन्य	0.24	0.19	5.85	2.44	0.001	(-) 99.96
	कुल	**6,333.95**	**7,326.19**	**7,819.13**	**9,536.40**	**9,826.34**	

(स्रोतः वित्त लेखे 2018-19)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि 4.74 प्रतिशत और 55.01 प्रतिशत के बीच में थी जो 'वाहनों पर कर', 'विद्युत पर कर और शुल्क', 'वस्तुओं और यात्रियों पर कर', 'भूमि राजस्व', और 'राज्य उत्पाद शुल्क' शीर्षों के अंतर्गत था। तथापि, 'जीएसटी सहित बिक्री, व्यापार आदि पर कर', 'स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क' तथा 'अन्य' शीर्षों के अंतर्गत लगभग 3 प्रतिशत से 99.96 प्रतिशत तक गिरावट थी। 'अन्य' शीर्ष के अंतर्गत 99.96 प्रतिशत की गिरावट मुख्यतः 8 जुलाई 2017 से जीएसटी के तहत मनोरंजन कर[1] को शामिल करने के कारण थी।

संबंधित विभागों से 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व वृद्धि/ गिरावट हेतु कारण उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था; तथापि, केवल निम्नलिखित करों के संबंध में कारणों को बताया गया:

[1] वर्ष 2017-18 के दौरान मनोरंजन कर ₹2.44 करोड़ था, जो 2018-19 के दौरान घटकर ₹0.001 करोड़ रह गया।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: राजस्व में गिरावट मुख्यतः संरचनात्मक मामलों और वस्तु एवं सेवा कर में दर की कमी के कारण थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: राजस्व में वृद्धि वर्ष 2017-18 के दौरान 31.50 प्रतिशत की दर पर एकत्र सभी शराब के उत्पादों की बिक्री पर अतिरिक्त निर्धारण शुल्क में वृद्धि 30 मई 2018 से 25 फरवरी 2019 तक 42 प्रतिशत और 26 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक 35 प्रतिशत के कारण थी।

3.1.3 वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण तालिका 3.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 3.3: सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की तुलना में 2018-19 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)= (एफ-ई)/ ई*100
1.	विद्युत	1,427.73	1,477.22	2,770.24	3,150.94	3,246.49	(+) 3.03
2.	वानिकी और वन्य जीवन	70.85	67.84	14.40	18.12	20.33	(+) 12.20
3.	पुलिस	19.97	34.11	67.63	32.70	88.98	(+) 172.11
4.	अलौह, खनन और धातुकर्म उद्योग	48.50	57.23	42.74	47.46	51.75	(+) 9.04
5.	जल आपूर्ति और स्वच्छता	36.90	45.77	51.99	93.07	59.78	(-) 35.77
6.	लोक निर्माण कार्य	23.13	27.55	21.14	47.96	27.92	(-) 41.78
7.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	22.69	22.53	21.86	26.02	26.45	(+) 1.65
8.	ब्याज प्राप्तियाँ	13.58	96.35	18.62	19.44	20.84	(+) 7.20
9.	अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	314.70	2,084.19	1,063.57	926.63	806.81	(-) 12.93
	कुल	**1,978.05**	**3,912.79**	**4,072.19**	**4,362.34**	**4,349.35**	

(स्रोत: राज्य बजट 2019-20 और वित्तीय लेखे 2018-19)

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, विद्युत, ब्याज प्राप्तियों, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, वानिकी/ वन्य जीवन और पुलिस से पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक संग्रहण में 1.65 प्रतिशत और 172.11 प्रतिशत के बीच की वृद्धि हुई थी। जबकि अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ, जल आपूर्ति और स्वच्छता तथा लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत प्राप्तियों में 12.93 प्रतिशत से 41.78 प्रतिशत तक की गिरावट थी।

संबंधित विभागों से 2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि/ गिरावट हेतु कारण उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था; तथापि, केवल निम्नलिखित विभागों द्वारा कारणों को बताया गया था:

पुलिस: राजस्व में वृद्धि मुख्यतः एकबार में प्राप्ति एवं नीलामी प्राप्तियों के रूप में गार्ड प्रभारों की वृद्धि के कारण थी।

वानिकी और वन्य जीवन: राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से ईंधन-लकडी के निष्कर्षण और राज्य वन निगम द्वारा जमा की गई रॉयल्टी राशि के कारण थी।

3.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों पर 31 मार्च 2019 तक राजस्व की बकाया राशि ₹1,474.11 करोड़ थी, जिसमें ₹719.92 करोड़ पाँच साल से अधिक अवधि से बकाया थी, जैसा कि तालिका 3.4 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	दिनांक 31 मार्च 2019 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2019 तक पाँच वर्षों से अधिक अवधि की बकाया राशि	विभाग के जवाब
1.	बिक्री/ वीएटी व्यापार आदि पर कर	1,426.58	672.63	भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु प्रस्तावित ₹107.77 करोड़ की राशि पर न्यायालयों/ अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगा दी गई है। विभाग ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे मांग का नोटिस (दस्तक) जारी करना, मेमो जारी करना, बैंक खातों को जब्त करना और उसके बाद अचल संपत्ति की कुर्की करना, इसके अलावा, बकाया की वसूली सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।
2.	मोटर स्पिरिट कर	0.09	0.09	
3.	मनोरंजन कर	0.21	0.21	कुल बकायों में से ₹45.36 करोड़ की वसूली पर न्यायालय/ अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगा दी गई थी। तथापि, ₹2.08 करोड़ के शेष बकायों को भूमि राजस्व अधिनियम के तहत बकायों के रूप में संग्रहण हेतु कलेक्टरों को भेजा गया था।
4.	पथ कर	28.24	28.00	
5.	राज्य उत्पाद शुल्क	18.99	18.99	
	कुल	**1,474.11**	**719.92**	

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

3.3 निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण, जोकि राज्य कर विभाग द्वारा बिक्री कर/ वीएटी और निर्माण कार्य संविदाओं पर कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे, तालिका 3.5 में दिए गए हैं।

तालिका 3.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व के शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को आदि शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल निर्धारण देय	वर्ष 2018-19 के दौरान मामलों का निस्तारण	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉ. 4 से 5)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री कर/ वीएटी	8,991	6,859	15,850	7,098	8,752	44.78
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	48,651	14,494	63,145	24,217	38,928	38.35

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

बिक्री कर/ वीएटी के संबंध में 45 प्रतिशत और निर्माण कार्य संविदा पर कर के संबंध में 38 प्रतिशत निर्धारण मामले (निर्धारण के लिए देय कुल मामलों में से) पूरे किए गए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान कम निर्धारणों के कारणों हेतु इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया (जून 2020) गया था कि निर्धारण प्राधिकारी नई कर व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं जो निर्धारणों के समापन के लिए अधिक समय लेती है। हालांकि, यह भी कहा गया था कि विभाग यथाशीघ्र लंबित निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए सभी प्रयास करेगा।

आंकलनों के समय वर्जित (पाँच वर्ष) होने के जोखिम से बचने के लिए, सरकार लंबित आंकलनों को अंतिम रूप देने हेतु एक समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि इस निर्धारित समय सीमा का विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जा रहा है।

3.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और सृजित अतिरिक्त कर मांग के ब्यौरे तालिका 3.6 में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: कर अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	31 मार्च 2018 को लंबित मामले	2018-19 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूरी हो गई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग भी उठाई गई		वसूल की गई मांग की राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2019 को अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामले
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)		
1.	बिक्री कर/ वीएटी	220	1,466	1,686	1,401	32.67	0.83	285
2.	जीएसटी	-	218	218	195	53.39	52.26	23
	कुल	**220**	**1,684**	**1,904**	**1,596**	**86.06**	**53.09**	**308**

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

वर्ष 2018-19 के दौरान 1,596 मामलों में उठाई गई ₹86.06 करोड़ की कुल माँग के प्रति ₹53.09 करोड़ की राशि वसूल की गई जो कि कुल वसूली योग्य राशि का 61.69 प्रतिशत है। जवाब में सहायक आयुक्त (तकनीकी) राज्य कर ने कहा (जून 2020) कि विभाग बकायों की वसूली के लिए विहित प्रक्रिया को अपना रहा है। यह भी कहा गया था कि सरकार ने एमनेस्टी योजना की घोषणा की है जिसका 30 जून 2020 तक लाभ उठाया जा सकता है और वसूली की कार्यवाहियाँ योजना के समापन के पश्चात् आरंभ की जाएंगी।

3.5 प्रतिदाय मामलों का लंबन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित वर्ष 2018-19 के आंरभ में लंबित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदायों और वर्ष 2018-19 के अंत में लंबित मामलों की संख्या तालिका 3.7 में दी गई है।

तालिका 3.7: प्रतिदाय मामलों के लंबन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर/ वीएटी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	264	1.26	7	0.75
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	811	27.99	26	2.33
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	558	16.04	22	0.59
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	517	13.21	11	2.49

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

बिक्री कर/ वीएटी तथा जीएसटी दोनों के अंतर्गत बकाया प्रतिदाय मामलों की संख्या वर्ष 2018-19 के दौरान 271 मामलों से 95 प्रतिशत बढ़कर 528 मामले हो गयी। यह भारत सरकार से प्राप्य प्रतिकर की राशि को प्रभावित कर सकती है।

सरकार प्रतिदाय मामलों के तत्काल निपटान के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है।

3.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर (पी.ए.जी.), सरकारी विभागों के लिए समय-समय पर निरीक्षण आयोजित करता है ताकि संव्यवहारों की नमूना-जांच और नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य रिकॉर्डों के रखरखाव को सत्यापित किया जा सके। इन निरीक्षणों में निष्कर्षों को शामिल करते हुए निरीक्षण रिपोर्टें (आईआर) तैयार की जाती हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगले उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों/ सरकार को आईआर में निहित टिप्पणियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, आईआर की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अंदर दोष और चूक परिशोधित करके पीएजी (लेखापरीक्षा) को आरंभिक जवाब के माध्यम से रिपोर्ट के अनुपालन की सूचना देना अपेक्षित है। विभागाध्यक्षों और सरकार को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी जाती है।

राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा विधि विभाग से संबंधित दिसम्बर 2018 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने उद्घाटित किया कि 859 आईआर से संबंधित ₹2,095.52 करोड़ मूल्य के कुल 4,539 पैराग्राफ, जून 2019 के अंत तक शेष रहे जिनका विवरण पिछले दो वर्षों के संबंधित आंकडों सहित तालिका 3.8 में दिया गया है।

तालिका 3.8: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2017	जून 2018	जून 2019
निपटान के लिए लंबित आईआर की संख्या	775	811	859
शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	3,875	4,111	4,539
शामिल राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	1,176.45	1,216.35	2,095.52

3.6.1 30 जून 2019 तक बकाया आईआर और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विभाग-वार विवरण और राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और विधि विभाग (राजस्व क्षेत्र) के संबंध में शामिल राशियाँ तालिका 3.9 में उल्लिखित हैं।

तालिका 3.9: निरीक्षण प्रतिवेदन/ लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभाग-वार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	शेष आईआर की संख्या	शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	शामिल धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	राज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	535	3,373	1,822.20
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क	154	377	120.95
3.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	112	484	141.86
4.	विधि	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	58	305	10.51
		कुल	**859**	**4,539**	**2,095.52**

2018-19 के दौरान जारी किए गए 51 आईआर के जारी करने की तिथि से चार सप्ताहों के भीतर लेखापरीक्षा को कार्यालयों के प्रमुखों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुए थे। जवाबों के प्राप्त नहीं होने के कारण, आईआर का इस बड़े रूप में लंबित होना इस तथ्य का सूचक है कि आईआर में पीएजी (लेखापरीक्षा) द्वारा इंगित किए गए दोषों, चूक और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्यालयों और विभागों के प्रमुखों ने कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा, कर राजस्व (राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क और मोटर वाहनों पर कर) से संबंधित लंबित आपत्तियों की चर्चा के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को संबंधित विभागों को पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी के लिए एक तिमाही में लगातार कम से कम तीन लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करने की सलाह देनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मांगे/ वसूलियाँ समय पर निपटायी गई हैं।

3.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 मार्च 2019 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, विधि तथा परिवहन (राजस्व क्षेत्र) विभागों की निरीक्षण प्रतिवेदनों की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ और उनकी स्थिति को तालिका 3.10 में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 3.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आदिशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान मंजूरी			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य (₹ करोड़ में)	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य (₹ करोड़ में)	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य (₹ करोड़ में)	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य (₹ करोड़ में)
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)	(एम)
2014-15	617	2,830	1,188.29	59	553	67.00	08	194	24.93	668	3,189	1,230.36
2015-16	668	3,189	1,230.36	70	494	76.86	07	140	25.90	731	3,543	1,281.32
2016-17	731	3,543	1,281.32	51	403	329.16	28	237	424.04	754	3,709	1,186.44
2017-18	754	3,709	1,186.44	89	767	173.79	09	110	41.24	834	4,366	1,318.99
2018-19	834	4,366	1,318.99	54	632	960.10	07	160	52.77	881	4,838	2,226.32

जेएण्डके सरकार ने पुराने पैराग्राफों के निपटान हेतु कोई लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप बकाया आईआर की स्थिति, संबंधित धन मूल्य (राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क और मोटर वाहनों पर कर) पैराओं की स्थिति बढ़ गई जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है।

यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाये गए थे जिसका परिणाम बकाया आईआर और पैराग्राफों की वृद्धि के रूप में हुआ।

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

3.8.1 स्वप्रेरित कृत कार्रवाई टिप्पणियों का अप्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने जून 1997 में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में छपे सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्वप्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) लोक लेखा समिति (पीएसी) को प्रस्तुत करें चाहे उन पर समिति द्वारा चर्चा की गई हो या नहीं। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधिवत् जांच के बाद समिति को प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, यह देखा गया था कि वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16[2] तक राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अध्यायों में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 88 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वप्रेरित एटीएन 31 मार्च 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

3.8.2 पीएसी की सिफ़ारिशों पर कृत कार्रवाई

पीएसी/ सीओपीयू द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में की गई टिप्पणियों/ सिफारिशों पर, कृत कार्रवाई टिप्पणियों की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत जांच के बाद ऐसी टिप्पणियों/ सिफारिशों की तारीख से छह महीने के अंदर समिति को प्रस्तुत करना होता है।

वर्ष 2000-01 से 2015-16 तक के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राजस्व क्षेत्र में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 31 मार्च 2019 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा आंशिक रूप से चर्चा किए गए 12 पैराग्राफों सहित 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में सिफारिशें की गई हैं, हालांकि, समिति की सिफारिशों पर 13 पैराग्राफों के संबंध में एटीएन राज्य सरकार से लंबित है।

[2] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 तथा 2017-18 संसद में सितंबर 2020 में प्रस्तुत किए गए।

3.8.3 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, विभाग द्वारा स्वीकार किए गए पैराग्राफ और वसूल की गई राशि तालिका 3.11 में उल्लिखित है।

तालिका 3.11: पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत पैराग्राफों का धन मूल्य (₹ करोड़ में)	वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2019 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में)
2013-14	5	9.28	5	1.11	शून्य	0.04
2014-15	4	0.76	4	0.76	शून्य	0.10
2015-16	7	124.10	6	88.76	0.09	0.16
2016-17	8	2.14	8	2.14	शून्य	0.20
2017-18	9	1.43	9	1.43	0.01	0.16[3]
कुल	**33**	**137.71**	**32**	**94.20**	**0.10**	**0.66**

उपर्युक्त द्वारा यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 में शामिल पैराग्राफों के संबंध में, विभाग/ सरकार ने ₹94.20 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिनमें से मार्च 2019 तक केवल ₹0.66 करोड़ की वसूली की गई, जो कि स्वीकृत राशि का केवल 0.70 प्रतिशत है। यह इंगित करता है कि सरकार ऐसे मामलों के लिए, जिनमें विभाग द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया गया था, देयताओं को पूर्णरूप से वसूल नहीं कर सकी।

3.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पिछली प्रवृतियों और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व और कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और विधि) की 398 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थी, जिनमें से 66 (17 प्रतिशत) इकाइयों के लिए योजना बनाई गई थी और 54 इकाइयों (82 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई थी।

---

[3] 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गयी ₹15.80 लाख की वसूली शामिल है।

3.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान संचालित राज्य कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन विभाग की 398 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों[4] में से 54 इकाइयों[5] के अभिलेखों की नमूना जांच में 502 मामलों में कुल ₹900.11 करोड़ के अवनिर्धारण/ कम उगाही/ राजस्व की हानि का पता चला। केवल आठ इकाइयों से ₹2.46 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं की स्वीकृति से संबंधित विभागीय जवाब प्राप्त हुए थे। विभागों ने वर्ष 2018-19 से पूर्व की अवधि के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 51 मामलों में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1.55 करोड़ की वसूली की थी। स्वीकृत वसूलियों के इकाई-वार विवरण ***परिशिष्ट 3.1.1*** में वर्णित हैं।

---

4 राज्य कर विभागः 66 इकाइयाँ; परिवहन विभागः 22 इकाइयाँ; उत्पाद शुल्क विभागः 44 इकाइयाँ तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण (विधि विभाग): 266 इकाइयाँ।

5 राज्य कर विभागः 34 इकाइयाँ; परिवहन विभागः 12 इकाइयाँ तथा उत्पाद शुल्क विभागः 08 इकाइयाँ।